

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-अहरौलाफर्जी तरीके से कूट रचना कर अध्यापक की नौकरी करने वाला 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त अंतिम कुमार सिंह पुत्र स्व० राजेन्द्र सिंह ग्राम जमीन दसाँव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा धीरज कुमार सिंह पुत्र उदयनाथ सिंह के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर अभियुक्त अंतिम कुमार सिंह द्वारा कूट रचना कर अपने आपको धीरज कुमार सिंह पुत्र उदयनाथ सिंह बनकर सहायक अध्यापक की नौकरी प्राप्त कर प्राइमरी विद्यालय पकड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ में बतौर सहायक अध्यापक कार्यरत थे कि विभागीय जाँच के दौरान फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र होने के कारण बरखास्त कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 54/2021 धारा 419/420/467/468/471 भा०द०वि० पंजीकृत है जिसकी विवेचना उ०नि० जावेद अख्तर द्वारा की जा रही है।

**पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित ,ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 05.06.2021 को थानाध्यक्ष अहरौला श्री प्रकाश शुक्ल ,उ०नि० जावेद मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 54/2021 धारा 419/420/467/468/471 भा०द०वि० में वांछित चल रहे अभियुक्त अंतिम कुमार सिंह पुत्र स्व० राजेन्द्र सिंह ग्राम जमीन दसाँव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम जमीन दसाँव से समय करीब 06.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से बोध कराते हुए अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त अंतिम कुमार सिंह पुत्र स्व० राजेन्द्र सिंह ग्राम जमीन दसाँव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पूछ-ताछ करने पर बता रहा है कि ने धीरज कुमार सिंह पुत्र उदयनाथ सिंह के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपनी पहचान बदलकर धीरज कुमार सिंह पुत्र उदयनाथ सिंह बनकर ने नौकरी प्राप्त की थी। बाद में विभागीय जाँच हुआ जिसके बाद मुझे बरखास्त कर दिया गया था। आज अपने घर पर मौजूद था कि आप लोगो के द्वारा पकड़ लिया गया है

सम्बन्धित अभियोग

मु०अ०सं०-54/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अंतिम कुमार सिंह पुत्र स्व० राजेन्द्र सिंह ग्राम जमीन दसाँव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थानाध्यक्ष अहरौला श्रीप्रकाश शुक्ल, उ०नि० जावेद अख्तर मय हमराह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

थाना-दीदारगंजथाना का हिस्ट्री शीटर अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय हमराह का० मनीष खरवार, का० अमित कुमार गौड, म०का० पुजा देवी द्वारा देखभाल क्षेत्र ,रात्रि गश्त व तलाश वांछित/वारण्टी कस्बा दीदारगंज में मामूर थे कि उसी समय चौकी प्रभारी मार्टीनगंज उ०नि० बांक बहादुर सिंह मय हमराह का० सोनू कुमार यादव, का० सदानन्द सिंह, का० मुकेश विश्वकर्मा के साथ आ गये हम लोग आपस में अपराध एवं अपराधियों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति पल्थी बाजार तिराहा पर खड़ा है। जिसके पास नाजयाज तमंचा व कारतूस है यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके थानाध्यक्ष ,मय हमराहीगण को मुखबिर की मंशा से अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष मय हमराहीगण मय मुखबिर के पल्थी तिराहा के कुछ पहले सरकारी बोलोरो को आड़ में खड़ा करके तथा अपनी मौजूदगी छिपाते हुए पल्थी तिराहे के पास पहुँचा कि कुछ ही दूर से मुखबीर इशारा करके बताया कि साहब जो काला चेकदार शर्ट पहने व्यक्ति खड़ा है उसी के पास नजायज तमंचा व कारतूस है मुखबीर इशारा करके हट बढ गया कि जैसे ही हम पुलिस वाले उक्त व्यक्ति के करीब पहुँचे हड़बड़ाकर भागने लगा हम पुलिस वाले घर कर पल्थी तिराहे पर पकड़ लिये। पकड़ गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम तौफिक पुत्र अलीरजा उर्फ ठिल्लू ग्राम चितारामहमूदपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र 31 वर्ष बताया भागने का कारण पूछने पर बताया कि साहब मेरे पास नजायज असलहा था इस लिये आपको लोगो को देखकर भागने लगा पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए जिन्स पैन्ट की बाये फेट से एक अदद तमंचा.315 बोर बरामद हुआ तथा पैन्ट की दाहिने जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामद तमंचा व कारतूस रखने का अधिकार पत्र मागा गया तो दिखाने से कासिर रहा और

बार बार गलती की माफी मागने लगा अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्टका दण्डनीय अपराध है। पकड़े गये व्यक्ति को उसके अपराध का बोध कराते हुए ,कारण गिरफ्तारी बताकर बजाफता बकायदा समय करीब 8.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग** –मु0अ0सं0 79/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

**पूछताछ विवरण:-** अभियुक्त द्वारा शौक मे अवैध तमंचा रखने की बात बता रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

तौफिक पुत्र अलीरजा उर्फ ठिल्लू ग्राम चितारामहमूदपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र 31 वर्ष

**आपराधिक इतिहास-** थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर है विवरण -

1. मु0अ0सं0 257/17 धारा 3/5/8 गोवध नि0अधि0 थाना दीदारगंज आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 86/18 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 7/2020 धारा 323/324/504/452 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 79/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी-01** अदद अवैध तमंचा 0.315 बोर व एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

**घटनास्थल-** पल्थी बाजार तिराहा

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1-थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
- 2-चौकी प्रभारी मार्टीनगंज उ0नि0 बांक बहादुर सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
- 3- का0 मनीष खरवार थाना दीदारगंज आजमगढ़
- 4- का0 अमित कुमार गौड थाना दीदारगंज आजमगढ़
- 5- म0का0 पुजा देवी थाना दीदारगंज आजमगढ़
- 6- का0 सोनू कुमार यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़
- 7- का0 सदानन्द सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
- 8- का0 मुकेश विश्वकर्माथाना दीदारगंज आजमगढ़
- 9- का0 अनूप कुमार यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

### थाना- गम्भीरपुर

#### बकरा चोरी से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण व एक नफर अपचारी किशोर गिरफ्तार

श्री राजू कुमार पुत्र बलिराज सा 0 अम्बरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर मु 0 अ0 सं0 108/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात चोर द्वारा वादी के बकरे को चुरा ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर व प्र 0 नि0 गम्भीरपुर श्रीमती ज्ञानूप्रिया के निर्देशन में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु 0 अ0 सं0 108/21 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित चोरी का 03 अदद बकरा बरामद करते हुए उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. नखडू चौहान पुत्र स्व. रामवृक्ष चौहान उम्र 21 वर्ष 2. अविनाश चौहान पुत्र इन्द्रजीत चौहान उम्र 19 वर्ष 3.अपचारी अभियुक्त शिवा उर्फ चिंटू चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान उम्र लगभग 15 वर्ष सा0 गंगापुर काजी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ मय एक जिक UP 50 CT 9572 के साथ दयालपुर तिराहे से समय करीब 08.10 बजे गिरफ्तार किया गया दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो एवं निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए नियमानुसार गिरफ्तारी की गयी आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है। तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411/413/414 भादवि की बढोत्तरी किया गया।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्तगण द्वारा बताया गया है हम लोग दिनांक 31.5.21 को अम्बरपुर में सिवान में चराते समय चोरी करके इसी जिक पर लाद लिए थे जिसे आज तक छिपाकर रखे थे और आज इन्हें बेचने के लिए लालगंज लेकर जा रहे थे कि आप लोग पकड लिए साहब हम लोग प्रायः सिवान में से बकरो की चोरी करके उन्हें बेचकर प्राप्त पैसो से अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करते है साहब हम लोगो से गलती हो गयी है हम लोगो को माफ कर दीजिये

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 108/21 धारा 379 /411/413/414 /भादवि . थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. नखडू चौहान पुत्र स्व. रामवृक्ष चौहान
  2. अविनाश चौहान पुत्र इन्द्रजीत चौहान
  - 3.अपचारी अभियुक्त शिवा उर्फ चिंटू चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान सा0 गंगापुर काजी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- बरामदगी- 03 अदद बकरा व एक जिक UP 50 CT 9572

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1 उ0नि0 हरिचरण यादव , हे0 का0 सतीश कुमार सिंह , का0 मो0 हारुन रशीद , का0 अर्जुन पटेल, थाना-गम्भीरपुर आजमगढ़।